है ताकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार तैयार किए जा सकें।

कल्याण मंत्रालय में आर्थिक मानदंड पर आधारित अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग/प्रशिक्षण संबंधी एक नई योजना शुरू की है और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 1994–95 के बजट में 3 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

4. सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण : अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्ग जिनका भारत सरकार के अधीन सिविल सेवाओं और पदों में आरक्षण के उद्देश्य से अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में उल्लेख है, ऐसे आरक्षण के लिए अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के समान पात्र होंगे।

5. चयन समितियों/बोर्डों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व ; सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश दिए हैं कि जहां कहीं भी समूह ग अथवा समूह घ में 10 अथवा अधिक रिक्तियों के लिए भर्ती करने हेतु चयन समितियां विद्यमान हों अथवा गठित की जानी हों, ऐसी समितियों/बोर्डों में अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदाय का एक सदस्य रखा जाना अनिवार्य होगा। तथापि, जहां कहीं चयन किए जाने वाली रिक्त पदों की संख्या 10 से कम हो तो ऐसी स्थिति में इन समितियों/बोर्डों में एक अधिकारी शामिल किए जाने हेतु सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

(ख) (1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम : अल्पसंख्यकों के बीच कमजोर वर्गों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत अंशपूंजी से एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम चालू वर्ष के दौरान कार्य करना शुरू कर देगा। इसकी रूपरेखा तय की जा रही है।

(2) अल्पसंख्यकों को कष्टदायक चिन्ताओं और समस्याओं पर पूर्णरूप से ध्यान केंद्रित करने तथा इस कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति में इसे और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी 15–सूत्री कार्यक्रम को नया रूप दिया जा रहा है।

Supply of Unhygienic milk products

*570. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item which appeared in the Hindustan Times dated the 16th April, 1994 captioned "Ministries row hits milk supply/milk products" stating that unhygienic products are flooding the market, particularly by dairies in the private sector, who are against delegating powers to the National Dairy Development Board for milk supply;

(b) if so, the details thereof indicating what action Government have taken against the bureaucratic wranglings between the Ministries of Agriculture and Food Processing industries which have rendered the MMPO (Milk and Milk Products Order) dated the 9th June, 1992 issued under the provision of Section 3 of the Essential Commodities Act almost ineffective/difficult to implement;

(c) whether Government have so far been able to solve the reported row over the implementation responsibility of MMPO and to ensure the availability of good quality of milk at reasonable prices to the general public paritcularly in the milk deficit areas; and

(d) if not, the reasons therefor and the details thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). There is no dispute between the Ministry of Agriculture and the Ministry of Food Processing Industries with regard to the implementation of the Milk and milk Product Order, 1992.